

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला-उदयपुर

प्रार्थी :- श्री विकास

विपक्षी :- श्री भगवानलाल

किस्म मुकदमा - 53 रा.का.अ.

पत्रावली संख्या : 54 / 22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण					हस्ताक्षर वादी को सुनाने की तिथि
	<p>दिनांक : 27.06.2023</p> <p>पत्रावली अधिवक्ता वादी द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश करने पर प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023 कैम्प खेमपुर में तलब की गई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। तहसीलदार मावली से पीडी पालना प्राप्त, शामिल फाईल रहे, रेकार्ड पर लिया जाता है। अधिवक्ता वादी द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अन्तिम किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 1 से 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।</p> <p>हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी द्वारा पीडी पालना पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहूलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमत हैं। अतः अधिवक्ता वादी द्वारा पीडी पालना पर सहमत होने से वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p>परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि मौजा वासनीमाफी पटवार हल्का फतहनगर की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता है :-</p>					
क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान	
1	विकास पिता कैलाशचन्द्र अग्रवाल सा फतहनगर खातेदार	996 / 1	0.0266	बीड	0.10	
	योग	किता 01	0.0266	-	0.10	
2	भगवानलाल पिता रामलाल 12/23 जाति गाडरी सा. देह हजारी पिता रामा 11/23 जाति गाडरी सा देह खातेदार	996 / 2	0.6128	बीड नहर	1.01 -	
	योग	किता 1	0.6128	-	1.01	
	<p>नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(श्रीकान्त व्यास) सहायक कलक्टर (FT) मावली</p>					



अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला—उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S

मुकदमा नम्बर : 54/22 (वाद) GCMS No. : 2022/102

उनवान

1. श्री विकास पिता कैलाशचन्द्र अग्रवाल निवासी फतहनगर तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. श्री भगवानलाल पिता रामलाल गाडरी निवासी वासनीमाफी तह. मावली।
2. श्री हजारी पिता रामा गाडरी निवासी वासनीमाफी तह. मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का फतहनगर तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27.06.2023 को श्रीकान्त व्यास, R.A.S. सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि मौजा वासनीमाफी पटवार हल्का फतहनगर की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	विकास पिता कैलाशचन्द्र अग्रवाल सा फतहनगर खातेदार	996/1	0.0266	बीड	0.10
	योग	किता 01	0.0266	—	0.10
2	भगवानलाल पिता रामलाल 12/23 जाति गाडरी सा. देह हजारी पिता रामा 11/23 जाति गाडरी सा देह खातेदार	996/2	0.6128	बीड नहर	1.01 —
	योग	किता 1	0.6128	—	1.01

नोट—उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 27.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली